(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 531–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर प्रकरण कमांक 93/अ–6/13–14.

कमल सिंह पिता सूरत सिंह
निवासी ग्राम बिचोली मर्दाना
तहसील व जिला इंदौर ....आवेदक

विरूद्ध

1– सुदामा पिता रामप्रसाद
2– नंदकिशोर पिता रामप्रसाद
3– बालकिशन पिता रामप्रसाद
निवासीगण मुसाखेड़ी
तहसील व जिला इंदौर
4– भागीरथ पिता रतन सिंह
निवासी 121, न्यू मारूति नगर
बाणगंगा इंदौर ....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, एवं
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 3
श्री दिलीप पासी, अभिभाषक, अनावेदक क. 4

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 15 पर पारित आदेश दिनांक 25–6–2007 के पुनर्विलोकन हेतु संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत तहसीलदार, इंदौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 93/अ–6/2012–13

दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–9–13 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना और सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है । यह भी कहा गया कि अधिकारिता विहीन आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, जिसमें समय–सीमा का बंधन नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध केवल अपील की जा सकती है, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन नहीं, इस वैधानिक तथ्य पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु समयावधि 90 दिवस निर्धारित की गई है, और वर्तमान प्रकरण में 6 वर्ष पश्चात पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य होने से अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति देने की अधिकारिता नहीं थी, फिर भी उनके द्वारा विधि विरूद्ध पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, जो कि नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रथम पंजीकृत विकय पत्र अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनांक 4–10–99 को निष्पादित हो चुका था, तब पश्चातवर्ती विकय पत्र से आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय किये जाने के बाद भी राजस्व अभिलेखों में अनावेदक कमांक 4 का अंकित रहने के कारण उसका अनुचित लाभ लेने की नीयत से वर्ष 2007 में उसके 4 द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पुनः विकय कर दिया गया है, जो कि नितान्त

अवैध एवं विधि विपरीत कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 15 पर पारित आदेश दिनांक 25–6–2007 अवैधानिक एवं अधिकार बाह्य आदेश है, और ऐसे अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने की शर्त पर तहसील न्यायालय को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–9–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13–3–15 को लगभग डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्टतः अवधि बाह्य है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–9–13 के बाद पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27–6–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 15–7–15 से हो चुका है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है, जहां वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 530–पीबीआर/15 किशोर पिता सूरत सिंह निवासी ग्राम बिचोली मर्दाना तहसील व जिला इंदौर विरूद्ध सुदामा पिता रामप्रसाद एवं अन्य तीन में भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर